(ii) Report of the Lubrizol India Limited, Bombay for the period from 20th July, 1966 to 31st March, 1967 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-1887/68]

NOTIFICATION UNDER GOVERNMENT SAVINGS BANKS ACT

SHRI JAGANNATH PAHADIA : I beg to lay on the Table a copy of the Post Office Savings Bank (Third Amendment) Rules, 1968, published in Notification No. G.S.R. 1481 in Gazette of India dated the 8th August, 1968, under sub-section (3) of section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873. [*Placed in Library. See* No LT- 1888/68]

12.25 HRS.

RE RESIGNATION OF MINISTER

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : कार्य सूची तैयार करने के लिए अध्यक्षीय निर्देश नम्बर 2 में क्रमशः तथा सिलसिला निश्चित किया गया है। मैं आपका ध्यान मद या आंइटम 19 की ओर दिलाना चाहता हूं। शुक्रवार को यहां पर श्री अशोक मेहता के इस्तीफे तथा उनके वक्तव्य की बात उठाई गई थी। आपने उस वक्त ठीक ही कहा था कि मैं जबर्दस्ती नियमों के अनुसार कर नहीं सकता, अगर वह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ साथ नियम 199(2) की चर्चा भी हुई थीं जिस में साफ लिखा हुआ है :

"A copy of the statement shall be forwarded to the Speaker and the Leader of the House one day in advance of the day on which it is made ".

मतलब 24 घंटे की सूचना होनी चाहिये। इसलिए शुक्रवार को उनका बयान हो नहीं सकता था। उस दिन लोगों का यह खयाल था कि सोमवार को बयान होगा। मैं जानता हूं स्थिति को, और मैं उसको पूरी तरह समझ भी रहा हूं कि आप जबर्दस्ती नहीं कर सकते हैं। लेकिन समूचे सदन और देश की जो अपेक्षा है उसको भी देखना होगा। साथ ही शकधर और कौल साहब की किताब में जो वाक्य है, वह भी मैं आपके सामने रखता हूं। उस में साफ इन शब्दों का प्रयोग किया गया है :

"Though it is customary for a Minister who has resigned his office to make a statement in the House explaining the reasons for his resignation, he is not bound to make such a statement and the Speaker cannot compel him to do so".

लेकिन साथ साथ कस्टमरी शब्द का प्रयोग है। मतलब यह साधारण रिवाज है। और कोई विशेष कारण हो तो वह न करें, यह भी शकधर साहब ने उस में लिखा है। स्वास्थ्य के लिए अगर कोई इस्तीफा देता है जोकि एक जाहिर कारण है, तो उस पर कभी बयान नहीं होता है। मगर यह असाधारण चीज आज क्यों हो रही है और इस कार्यसूची में अशोक मेहता साहब के बयान का उल्लेख क्यों नहीं है? जबर्दस्ती वगैरह कुछ नहीं है।

MR. SPEAKER : You have had your say now.

श्री मधु लिमये : मेहता साहब कुछ नहीं कहेंगे ?

SHRI ASOKA MEHTA (Bhandara) : I would not like to be misunderstood by the hon. Member and any section of the House. I think, the hon. Member is right when he says that customarily a minister should make a statement. That is so because the House would not know the reason why a minister has resigned. But in